न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्र सोनी आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.मगाराम पुत्र सुजाना जाति रबारी निवासी सामरानी तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1.जैरूपा पुत्र पीरा जाति रबारी निवासी सामरानी तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2.राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

प्रकरण संख्या अपील 18/2018

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश प्रकरण संख्या 41/88 दिनांक 19.08.1988 सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू-अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा फौतदगी बंटवाडा के आदेश को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थिति:-
1-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक अपीलांटस
2-श्री अभिनव सुथार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

दिनांक: 24.07.2019

-:निर्णय:-

.....

अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई है, जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा सामरानी तहसील रानीवाडा में अपीलार्थी व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 की खातेदारी आई हुई है अपीलार्थी के दादा व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता पीरा पुत्र काना की आराजी जिसके पुराने खसरा नंबर 260, 264, 305 कुल भूमि 56 बीघा की आई हुई थी। पीरा पुत्र काना सन् 1980 में फौत हो गये थे। सैटलमेन्ट के दौरान फौतदगी बाबत कार्यवाही सैटलमेष्ट विभाग द्वारा की गई थी।नये खसरा नंबर 296 रकबा 2.62 हैक्टर खसरा नंबर 300 रकबा 01.78 हैक्टर खसरा नंबर 301 रकबा 0.45 हैक्टर खसरा नंबर 354 रकबा 3.86 हैक्टर कुल 8.71 हैक्टर भूमि थी उक्त भूमि में पीरा पुत्र काना के दो पुत्र सुजाना व जैरूपा है जिनका उक्त आराजी में 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है।सैटलमेन्ट कर्मचारी ने सरपंच द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र मंगवाकर फौतदगी की कार्यवाही करना बताया गया।फौतदगी की कार्यवाही करते हुये उनके द्वारा बंटवाडा का आदेश भी पारित किया।खसरा नंबर 296 रकबा 2.62 हेक्टर सुजाना बल्द पीरा को व खसरा नंबर 300 रकबा 1.78 हैक्टर खसरा नंबर 301 रकबा 0.45 हैक्टर खसरा नंबर 354 रकबा 3.86 हैक्टर जैरूपा पुत्र पीरा को दिये जाने का आदेश दिया था।जबकि खसरा नंबर 300 पर सुजाना का कब्जा होते हुये सैटलमेन्ट कर्मचारीयो ने मौके की कोई जांच न कर दिनांक 19.08.1988 को गलत आदेश पारित किया था। उनके द्वारा गलत आदेश पारित करने पर अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

सैटलमेन्ट कर्मचारीयो द्वारा फौतदगी कार्यवाही बताकर गलत बंटवाडा पारित किया था उनके द्वारा बंटवाडा आदेश से पूर्व उक्त भूमि पर काबिज कौन है, आस पडौस व्यक्तियो के बयान लिये जाकर विधि सम्मत कार्यवाही की जानी थी परन्तु उनके द्वारा जल्दबाजी में गलत आदेश पारित किया है। उक्त आदेश गलत होने से शून्य है।

पीरा पुत्र कानाजी के फौत होने पर सैटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है पीरा पुत्र कानाजी के वारिशान निम्न है:-

जिला कलेक्टर,जालोर

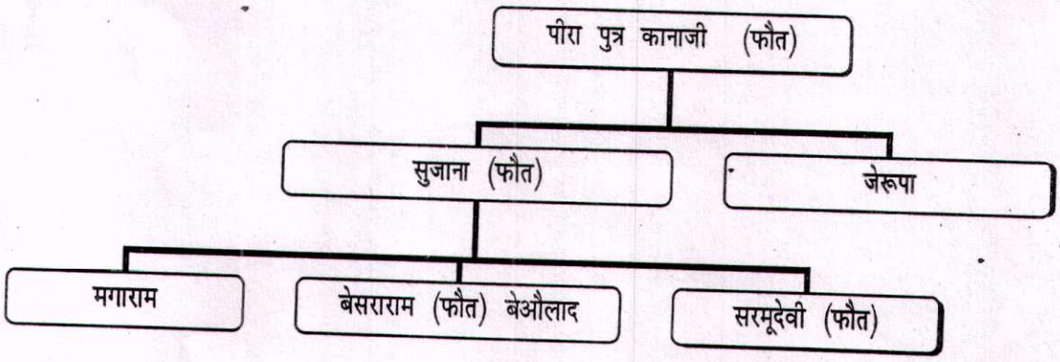

पीरा पुत्र कानाजी की कुल आराजी 8.71 हैक्टर थी जिनके दो पुत्र सुजाना व जैरूपा के नाम 4.35 हैक्टर, 4.35 हैक्टर का बंटवाडा किया जाना था परन्तु सैटलमेन्ट कर्मचारियो ने फौतदगी का हवाला देते हुये गलत बंटवाडा आदेश पारित किया है जबकि बंटवाडा आदेश से पूर्व फौतदगी के नामान्तरण की कार्यवाही करनी थी ऐसा उनके द्वारा न करने पर, तत्समय पारित बंटवाडा आदेश खारिज योग्य है। सैटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा नामान्तरण की कोई कार्यवाही नही की गई थी। तथा न ही बंटवाडा आदेश के तहत कोई नामान्तरकरण भरा गया था। उनके द्वारा की गई समस्त कार्यवाही गलत होने से खारिज योग्य है।

सैटलमेन्ट कर्मचारियो को बंटवाडा करने का कोई अधिकार नही था। सैटलमेन्ट कर्मचारियो ने बंटवाडा आदेश दिया उस आदेश के तहत विधि सम्मत स्टाम्प ड्युटी ली जानी थी परन्तु उनके द्वारा कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली गई, बिना स्टाम्प ड्युटी के ही आदेश पारित कर दिया था। सैटलमेन्ट कर्मचारियो ने राज्य सरकार में स्टाम्प ड्यूटी भरने का कोई आदेश नही दिया गया था। इस कारण अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है।

सैटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा आदेश करने से पूर्व अमीन की रिपोर्ट ली गई थी।अमीन द्वारा न तो मौके पर आकर कब्जा काश्त देखा गया था एवं अपीलार्थी का खसरा नंबर 300 पर कब्जा होते हुये गलत रिपोर्ट सैटलमेन्ट अधिकारी को पेश की गई थी तथा सैटलमेन्ट अधिकारी ने बयान गवाह सजना, जैरूपा का लिया जाना बताया है, दो व्यक्तियो के बयान अलग अलग लिये जाते है परन्तु उनके द्वारा एक ही पेपर पर दो व्यक्तियो के बयान लिये है।सुजाना उस दरमियान वहा हाजिर नही था उसके द्वारा अपने पिता की मृत्यु बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसके द्वारा बंटवाडा बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया था। सैटलमेन्ट कर्मचारियो ने जैरूपा से मिलीभगत कर गलत बंटवाडा आदेश पारित करवाया है।विधि की मंशा अनुसार पक्षकारो के बीच बंटवाडा किया जावे तब यदि कोई भूमि उबड खाबड हो तो भूमि विस्वा में ज्यादा हो सकती है परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी को 2.62 हैक्टर भूमि दी है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 6.09 हैक्टर भूमि दी गई है जबकि कुल भूमि 8.71 हैक्टर में से 1/2 यानि 4.35 हैक्टर अपीलार्थी व 1/2 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हकदार है। सैटलमेन्ट कर्मचारियो ने तमाम कार्यवाही गलत तरीके से की है, की गई उक्त कार्यवाही खारिज योग्य है।

अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी नही थी। दिनांक 18.4.2018 को पटवारी हल्का के पास गया व अपने खाते की जमाबंदी देखी गई।खसरा नंबर 300 की जमाबंदी देखने पर जैरूपा का नाम था, अपीलार्थी उक्त नकल लेने दिनांक 19.04.2018 को रेकर्ड शाखा में आया व नकल मांगी तब बंटवाडा की नकल नही मिली उक्त नकल दिनांक 03.05.2018 को मांगी जो नकल 03.05.2018 को प्राप्त हुई, नकल प्राप्त होने पर बंटवाडा आदेश की जानकारी हुई, जानकारी होने पर उक्त अपील श्रीमान के सक्षम प्रस्तुत की जा रही है जो अन्दर म्याद पेश है फिर भी धारा 5 मय शपथ पत्र अलग से पेश है।

अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट श्रीमान के क्षैत्राधिकार में निवास करते है जिससे उक्त अपील का श्रीमानजी को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से कही भी अपील प्रस्तुत नही की गई है श्रीमानजी के समक्ष प्रथम बार अपील प्रस्तुत की जा रही है।

जिला कलेक्टर, जालोर

अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के आदेश दिनांक 19.08.1988 पत्रावली संख्या 41/88 को खारिज कर अपीलार्थी के पक्ष में 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में 1/2 किये जाने का आदेश करावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोराहते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी मौजा सामरानी तहसील रानीवाडा में स्थित है जिसके पुराने खसरा नंबर 260, 264, व 305 जिसका कुल रकबा 56 बीघा था जो पीरा पुत्र काना के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी पीरा वल्द काना की मृत्यु सन् 1986 में हो गई थी। पीरा के पुत्र सुजाना द्वारा पिता के फौत होने के कारण फौतेदगी नामान्तकरण हेतु सैटलमेन्ट अधिकारीयो के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन सैटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा फौतदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही नही कर पीरा के पुत्र सुजाना पुत्र पीरा व जैरूपा पुत्र पीरा के बीच पत्रावली संख्या 41/88 कायम कर दिनांक 19.08.1988 को उक्त आराजी का बंटवाडा आदेश कर दिया तथा सुजाना को बंट में 2.62 हैक्टर तथा जैरूपा को बंट में 6.08 हैक्टर भूमि दी गई जबकि सुजाना सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी था सैटलमेन्ट के कर्मचारियो द्वारा बिना मौका कब्जा जांच किये ही रिपोर्ट पेश करने के आधार पर यह बटवाडा किया गया है।जबकि खसरा नंबर 300 रकबा 1.78 हैक्टर पर सुजाना बल्द पीरा का कब्जा काश्त था। सुजाना वल्द पीरा सन्1990 में फौत हो चुका है उनकी पत्नि सरमुदेवी भी फौत हो चुकी है तथा पुत्र बेसराराम नाओलाद ही फौत हो चुका है सुजाना के पुत्रीया नही है केवल मात्र अपीलांट मगाराम ही वारिशदार होने से सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी होने से आदेश दिनांक 19.08.1988 को निरस्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी के बटवाडे हेतु सुजाना व जैरूपा, पिसरान पीरा द्वारा आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जे अनुसार बंटवाडा दिनाक 19.08.1988 को करवाया गया है सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा मौके पर दोनो भाईयो का अलग अलग कब्जा होने के आधार पर ही बंटवाडा किया गया है।दिनांक 19.08.1988 को सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा दोनो भाईयो के बयान भी कलमबद्ध किये है जिस पर दोनो भाईयो ने सहमति दी है बयान अनुसार खसरा नंबर 300, 301, 354 पर जैरूपा का कब्जा है। खसरा नंबर 300 पर सुजाना का कब्जा कभी भी नही रहा है।मौके पर कब्जा किसका कितनी कितनी भूमि पर है यह पटवारी या आर.आई आदि की मौका रिपोर्ट होनी चाहिए जो पत्रावली पर नही है। बंटवाडा आदेश दिनांक 19.08.1988 के विरूद्ध अपील बिलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के पर्याप्त कारण अपीलांट द्वारा नही दर्शाये जाने के कारण अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने योग्य नही है अतःअपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

वकील अपीलांट द्वारा लिमिटेशन प्रार्थना पत्र के सदर्भ में तर्क दिया कि उक्त बटवाडा सुजाना व जैरूपा के मध्य सैटलमैन्ट विभाग द्वारा दिनांक 19.08.1988 को किया गया था तथा अपीलांट के पिता सुजाना सन्1990 में ही फौत हो चूके थे जिनके द्वारा सम्पूर्ण आराजी का बंटवाडा किये जाने का अपीलाट को नही बताया था।अपीलांट द्वारा दिनांक 18.04.2018 को पटवारी हल्का के पास अपने खाते की जमाबंदी देखने पर ज्ञात हुआ कि अपीलांट के कब्जे वाली आराजी खसरा नंबर 300 में जैरूपा का नाम दर्ज है तब नकले प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जो अन्दर म्याद प्रस्तुत किये जाने से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमावे।

पत्रावली के अवलोकन तथा उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत दृष्टान्तों पर मनन के उपरान्त इस न्यायालय के अभिमत में स्थिति इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.1988 अर्थात लगभग 31 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बंटवाडे की लिखत प्रस्तुत होने पर तत्समय स्वीकृत बंटवाडे को अस्वीकार या खारीज किये जाने योग्य ऐसे कोई ठोस साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है। 31 वर्ष पूर्व किये गये आपसी सहमति के बंटवाडे में भूमि बराबर मिली या नहीं यदि बराबर नहीं मिली तो तत्समय हितधारियों ने सहमति किन आधारों पर दी, यह अब चुनौती योग्य नहीं है। दिनांक 19.08.88 को अपीलांट के पिता सुजाना द्वारा सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी के समक्ष दिये गये बयान की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है जिसमें उक्त बंटवाडे के अनुसार ही कब्जा होना व तदानुसार ही बंटवाडा किये जाने की लिखित साक्ष्य अपीलांट के पिता सुजाना ने दी है। जिसे गलत ठहराने या

जिला कलेक्टर,जालोर

अमान्य करने बाबत भी कोई भी दस्तावेजी एवं विधिक आधार मौजूद नहीं है। साथ ही 30 वर्ष पश्चात दायर वाद को बहुत साधारण कथनों के आधार पर अन्दर म्याद माना जाना भी संभव नहीं है। उक्त वाद में अपीलांट ऐसा कोई सारपूर्ण दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नहीं कर पाये है जो की 31 वर्ष पुराने आपसी सहमति के बंटवाडे को गलत सिद्ध कर सके। वाद दायर करने में 30 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करने का भी कोई सारभूत तथ्यात्मक या विधिक आधार उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत दृष्टान्त भी उक्त प्रकरण की परिस्थितियों के सन्दर्भ में अपीलांट की मदद नहीं करता। फलतः उक्त अपील गुणवगुण के आधार पर तथा म्याद बाहर होने से भी अर्थात दोनो आधारों पर खारीज की जाती है।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: